

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

यूपीपीडब्ल्यूडी के पत्रांक 3057/ENV-30/UPCRNDP/WBYC/21 दिनांक 11/02/2022 के अनुपालन में क्षेत्रीय वन अधिकारी बहराइच रेंज को वन प्रभाग बहराइच के लिखित आदेश पत्रांक 4173/2-6, दिनांक 23/02/2022 के अनुपालन में वन प्रभाग बहराइच में बहराइच - गौडा रोड (SH-30) के द्वारा प्रभावित क्षेत्रफल के संरक्षित वन की 15.330 हे० भूमि एवं प्रभावित वृक्षों के सीमांकन हेतु स्थल पर उपस्थित होकर वन विभाग एवं यूपीपीडब्ल्यूडी कर्मचारियों की उपस्थिति में संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया।

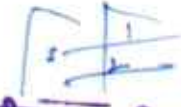
संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि जनपद बहराइच में बहराइच - गौडा रोड के संरक्षण के आधार पर बहराइच वन प्रभाग के अंतर्गत संरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है, जिसका विवरण निम्नवत है—

रोड सं०	प्रारंभ किमी	अंतिम किमी	प्रभावित होने वाले वन भूमि का क्षेत्रफल (हे० में०)	टिप्पणी
बहराइच - गौडा रोड (SH-30)	Km 04+150	Km 15+000	15.330	संरक्षित वन
योग			15.330 हे०	

संरक्षित वन का विवरण एवं प्रभावित वृक्षों का विवरण की छाया प्रति संलग्न है।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि बहराइच - गौडा रोड के संरक्षण में वन भूमि की मांग न्यूनतम है, एवं वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।


सहायक अभियन्ता
निमाण खण्ड-3 (विश्व बैंक)
ला०नि०वि० सी०त०प०


क्षेत्रीय वन अधिकारी
(क्षेत्रीय वन अधिकारी बहराइच)


उप प्रभागिक वन अधिकारी
बहराइच उप वन प्रभाग


प्रभागीय वन अधिकारी
बहराइच वन प्रभाग, बहराइच